

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में आई मामूली गिरावट का असर राज्य सरकारों के 2008-09 तथा 2009-10 के वित्त में भी दिखाई दिया। राज्य वित्त की हालत विशेष रूप से 2009-10 में तब काफी बिगड़ गई थी जब तीन वर्ष बाद फिर से समेकित स्तर पर राजस्व घाटा हुआ तथा सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3 प्रतिशत से भी अधिक हो गया। 2009-10 के संशोधित अनुमानों ने भी बजट अनुमानों की तुलना में और खराब स्थिति की ओर इशारा किया। तथापि, वृद्धि की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए राज्यों ने 2010-11 में राजकोषीय समेकन के पथ पर फिर से अग्रसर होने का मन बनाया जैसा कि उनके बजट अनुमानों से स्पष्ट होता है। 2010-11 में राजस्व घाटा तथा सकल राजकोषीय घाटा दोनों में गिरावट आने का अनुमान है। समेकित स्तर पर 2010-11 में राजस्व खाते में होने वाला प्रत्याशित सुधार पूर्णतः राजस्व व्यय में कटौती (जीडीपी के अनुपात के रूप में) के जरिए आने की संभावना है। परंतु सकल व्यय की उभरती प्रवृत्ति दर्शाती है कि विकास व्यय में वृद्धि की दर विकासेतर व्यय की तुलना में कम होगी। राजकोषीय समेकन की दिशा में सतत प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को गैर-कर राजस्व के खातों को तलाशना होगा और व्यय की एक ऐसी प्रवृत्ति को सुनिश्चित करना होगा जिससे न केवल वृद्धि की गति में तेजी आती हो बल्कि सार्वजनिक कल्याण में भी वृद्धि होती हो।

1. परिचय

4.1 पिछले दो वर्षों में राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में काफी गिरावट आयी। 2008-09 तथा 2009-10 में प्रमुख वित्तीय संकेतकों में प्रतिकूल संकेत दिखाई दिए क्योंकि राज्यों ने छठे केंद्रीय/राज्य वेतन आयोगों (सीपीसी/एसपीसी) की सिफारिशों को लागू किया था। साथ ही समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट के असर को कम करने के लिए उन्होंने विभिन्न विवेकाधीन उपाय किए थे। 2007-08 तक राजकोषीय समेकन की दिशा में की गई प्रगति के चलते राज्य सरकारों को विस्तारकारी राजकोषीय रुख अपनाने में मदद मिली। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2008-09 तथा 2009-10 में राज्यों के जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त बाजार उधार लेने की अनुमति दी। 2008-09

के दौरान आर्थिक वृद्धि की दर में गिरावट आने के कारण राजस्व के संग्रहण में कमी आई तथा सकल व्यय में वृद्धि हुई। इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप 2008-09 में राजस्व अधिशेष में तेजी से गिरावट आयी क्योंकि राजस्व व्यय में वृद्धि की दर राजस्व प्राप्तियों की दर से अधिक हो गयी थी। 2009-10 (सं.अ.) में राज्य वित्त की स्थिति में गिरावट जारी रही जिसके फलस्वरूप तीन वर्ष बाद राजस्व घाटा पुनः दिखाई दिया जो जीडीपी का 0.7 प्रतिशत रहा। राजस्व लेखा में हुए इन घटनाक्रमों का असर 2008-09 (लेखा) और 2009-10(सं.अ.) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात में वृद्धि के रूप में दिखाई दिया। तथापि 2010-11 (ब.अ.) में राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है जैसाकि उनके प्रमुख राजकोषीय संकेतकों से स्पष्ट है (सारणी IV.1)।

सारणी IV.1: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	औसत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
सकल राजकोषीय घाटा					90,084 (2.4)	77,508 (1.8)	75,455 (1.5)	1,34,589 (2.4)	1,99,510 (3.0)	2,16,101 (3.3)	1,98,539 (2.5)
राजस्व घाटा	(2.8)	(3.4)	(4.0)		7,013 (0.2)	-24,857 (-0.6)	-42,943 (-0.9)	-12,672 (-0.2)	32,295 (0.5)	46,663 (0.7)	24,370 (0.3)
प्राथमिक घाटा	(0.7)	(1.7)	(2.2)		6,060 (0.2)	-15,672 (-0.4)	-24,376 (-0.5)	31,634 (0.6)	83,083 (1.3)	100,197 (1.5)	69,883 (0.9)
	(1.1)	(1.4)	(1.3)								

ब.अ.: बजट अनुमान. सं.अ.: संशोधित अनुमान.

टिप्पणी: 1. क्रणात्मक(-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत दर्शाते हैं।

3. 2004-05 से प्रारंभ करके वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी का अनुपात केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के राष्ट्रीय लेखा 2004-05 सिरीज पर आधारित है। पिछले वर्षों के जीडीपी के आंकड़े 1999-2000 श्रृंखला के हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य वित्त : वर्ष 2010-11 के बजटों का अध्ययन

इस अध्याय में राज्य वित्त की 2008-09 (लेखा), 2009-10 (सं.अ.) तथा 2010-11 (ब.अ.) की समेकित स्थिति की जानकारी दी गई है।

2. लेखा : 2008-09

4.2 2008-09 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति बिगड़ गई क्योंकि समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आ गई थी तथा छठे केंद्रीय वेतन आयोग/राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण राजस्व व्यय संबंधी दायित्व भी बढ़ गया था। परंतु संशोधित अनुमानों को लेखों में रूपांतरित करते समय समेकित

स्तर पर 2008-09 के राजकोषीय परिणाम आशा से बेहतर रहे। तदनुसार वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व लेखों का समेकित अधिशेष उच्चतर था जबकि लेखों में राजकोषीय घाटा कम था। जीडीपी के अनुपात के रूप में समेकित राजस्व अधिशेष में मामूली वृद्धि हुई जो 2008-09 (सं.अ.) के 0.19 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 (लेखा) में 0.23 प्रतिशत हो गयी। राजस्व खाते में हुआ सुधार वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में लेखों में राजस्व प्राप्तियों में हुई गिरावट के मुकाबले राजस्व व्यय में हुई भारी कमी का असर परिलक्षित होता है (सारणी IV.2 तथा परिशिष्ट सारणी 1 तथा 2)।

सारणी IV.2: प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (सं.अ.)	2008-09 (लेखा)	घटबढ़		घटबढ़ में हिस्सा (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)					
(i) कर राजस्व (क+ख)	7,37,865	6,94,657	-43,208	-5.9	100.0
(क) स्वयं के कर राजस्व	5,03,878	4,82,983	-20,895	-4.1	48.4
जिसमें से: बिक्री कर	3,30,405	3,21,930	-8,475	-2.6	19.6
(ख) केंद्रीय करों में हिस्सा	2,02,610	1,98,327	-4,283	-2.1	9.9
(ii) करेतर राजस्व	1,73,473	1,61,052	-12,421	-7.2	28.7
(क) राज्यों के स्वयं के करेतर राजस्व	2,33,987	2,11,675	-22,312	-9.5	51.6
(ख) केंद्र से अनुदान	79,614	81,751	2,137	2.7	-4.9
II. राजस्व व्यय	7,27,165	6,81,985	-45,180	-6.2	100.0
जिसमें से:					
(i) विकासात्मक व्यय	4,45,889	4,14,452	-31,437	-7.1	69.6
जिसमें से:					
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,29,706	1,21,276	-8,430	-6.5	18.7
परिवहन तथा सचार	19,975	19,776	-200	-1.0	0.4
बिजली	36,715	37,337	622	1.7	-1.4
प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत	10,076	8,326	-1,750	-17.4	3.9
ग्रामीण विकास	30,040	26,550	-3,489	-11.6	7.7
(ii) विकासेतर व्यय	2,60,899	2,49,016	-11,883	-4.6	26.3
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवाएं	57,144	52,431	-4,713	-8.2	10.4
पेशन	66,938	65,440	-1,498	-2.2	3.3
व्याज भुगतान	106,220	1,02,955	-3,265	-3.1	7.2
III. पूँजी प्राप्तियां	1,86,201	1,96,634	10,433	5.6	100.0
जिसमें से:					
ऋणेतर पूँजी प्राप्तियां	5,314	266	-5,048	-95.0	-48.4
IV. पूँजीगत व्यय	2,13,259	2,00,347	-12,912	-6.1	100.0
जिसमें से:					
पूँजी परिव्यय	1,57,254	1,42,628	-14,626	-9.3	113.3
जिसमें से:					
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए पूँजी परिव्यय	48,727	43,692	-5,035	-10.3	39.0
बिजली के लिए पूँजी परिव्यय	18,728	17,141	-1,587	-8.5	12.3
परिवहन के लिए पूँजी परिव्यय	29,614	27,604	-2,010	-6.8	15.6
ज्ञापन मद:					
राजस्व घाटा		-10,701	-12,672	-1,971	18.4
सकल राजकोषीय घाटा		1,46,349	1,34,589	-11,760	-8.0
प्राथमिक घाटा		40,128	31,634	-8,494	-21.2

सं.अ.: संशोधित अनुमान। * : संबंधित जोड़ का प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

टिप्पणी: 1. घाटे में ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष दर्शाता है।

2. पूँजी प्राप्तियां में निवल आधार पर सार्वजनिक लखे शामिल हैं जबकि पूँजीगत व्यय में सार्वजनिक लखे शामिल नहीं हैं।

3. पौरशिष्ट के संबंध में दी गई टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

4.3 राजस्व व्यय में हुई कमी मुख्यतः विकास से संबंधित घटकों में थी जिसमें 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में तेजी से गिरावट आयी। यह गिरावट विकास राजस्व व्यय की सभी प्रमुख श्रेणियों अर्थात् ‘शिक्षा, खेलकूद, तथा कला और संस्कृति’, ‘चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य’ तथा ‘ग्रामीण विकास’ में देखी गयी। गैर-विकास राजस्व व्यय भी कम रहा एवं 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में राजस्व व्यय में जो कमी आई उसकी एक-चौथाई से भी अधिक की कमी इसी बजह से थी। गैर-विकास राजस्व के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन तथा ब्याज भुगतान आते हैं, में 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आयी।

4.4 2008-09 (लेखा) में राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमानों से कम रहीं जो केंद्र से अंतरण तथा राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में हुई गिरावट की बजह से थी। 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में केंद्र से प्राप्त होनेवाले अनुदानों तथा केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में गिरावट आयी जो राजस्व प्राप्तियों में हुई कुल गिरावट के 85.3 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र आर्थिक कार्यकलापों में आयी गिरावट को प्रतिबिंबित करते हुए संशोधित अनुमानों की तुलना में 2008-09 (लेखा) में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व (ओटीआर) के संग्रहण में गिरावट आयी। तथापि इसकी आंशिक भरपाई 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि से हुई।

4.5 राजस्व लेखा में हुई मामूली वृद्धि जीएफडी-जीडीपी अनुपात में हुई गिरावट में परिलक्षित हुई। 2008-09 (सं.अ.) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2.6 प्रतिशत था जो 2008-09 (लेखा) में घटकर 2.4 प्रतिशत रह गया। संशोधित अनुमानों की तुलना में पूंजी परिव्यय में हुई 9.3 प्रतिशत की गिरावट की बजह से जीएफडी-जीडीपी अनुपात में और अधिक गिरावट आयी। परिणामस्वरूप, 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में राज्यों के समेकित जीएफडी में गिरावट आयी। जीएफडी में हुई गिरावट को प्रतिबिंबित करते हुए राज्य सरकारें 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2008-09 (लेखा) में प्राथमिक घाटे को कम करने में सफल हुई।

3. संशोधित अनुमान :2009-10

4.6 2009-10 में राज्य वित्त की स्थिति में गिरावट जारी रही। आगे और गिरावट की संभावना को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने ढांचागत क्षेत्र में उच्चतर व्यय सहित विशिष्ट राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की जबकि कुछ अन्य राज्यों ने कर में छूट तथा अपने करों की दरों में कमी की ताकि आर्थिक कार्यकलापों में तेजी लायी जा सके। अतः तीन वर्ष बाद 2009-10 में राजस्व घाटा पुनः दिखाई दिया तथा बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में जीएफडी उच्चतर रहा। 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में राजस्व लेखा की हालत इसलिए बिगड़ी क्योंकि राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में जो थोड़ी-बहुत वृद्धि हुई थी, राजस्व व्यय में उससे भी अधिक की वृद्धि हुई (सारणी IV.3)। 2009-10 (सं.अ.) में जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व घाटा (आरडी-जीडीपी) 0.7 प्रतिशत था जो 2009-10 (ब.अ.) के 0.5 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से अधिक है।

4.7 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में राज्यों की कर प्राप्तियों में गिरावट आयी जो केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में हुई उल्लेखनीय गिरावट एवं राज्यों के स्वयं के कर राजस्व (ओटीआर) में आई थोड़ी गिरावट को प्रतिबिंबित करता है। आर्थिक गिरावट के कारण केंद्र के सकल कर राजस्व में गिरावट आयी जिसके चलते 2009-10(सं.अ.) में केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्सों के अंतर्गत बजटीय अंतरण से भी कमी आयी। राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में भी मामूली गिरावट आयी क्योंकि स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, व्यावसायिक तथा भू-राजस्व से प्राप्त होने वाले राजस्व के संग्रहण में बजटीय स्तर से गिरावट आ गयी थी। परंतु विशेष रूप से ओएनटीआर के घटक में तेज वृद्धि होने के कारण राज्यों के गैर कर राजस्व में वृद्धि हुई जबकि 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में केंद्र से प्राप्त होनेवाले सहायता अनुदान में मामूली वृद्धि हुई। बजटीय स्तर से राज्यों के ओएनटीआर में जो सुधार हुआ वह शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति, बिजली, सिंचाई तथा ब्याज प्राप्तियों के माध्यम से उच्चतर संग्रहण को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, राजस्व प्राप्तियों में हुई गिरावट की पूर्णतः भरपाई करेतर राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि से हो जाने के चलते 2009-10 (सं.अ.) में राज्यों की बजटीय राजस्व प्राप्तियां मामूली रूप से उच्चतर थीं।

सारणी IV.3 : प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2009-10 (ब.अ.)की तुलना में 2009-10 (सं.अ.)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009-10 (ब.अ.)	2009-10 (सं.अ.)	घटबढ़		घटबढ़ में हिस्सा* (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	8,04,943	8,07,388	2,445	0.3	100.0
(i) कर राजस्व (क+ख)	5,52,243	5,31,004	-21,239	-3.8	-868.7
(क) स्वयं के कर राजस्व	3,66,523	3,65,527	-995	-0.3	-40.7
जिसमें से : बिक्री कर	2,25,009	2,25,227	218	0.1	8.9
(ख) केंद्रीय करों में हिस्सा	1,85,720	1,65,477	-20,243	-10.9	-827.9
(ii) करेतर राजस्व	2,52,701	2,76,384	23,684	9.4	968.7
(क) राज्यों के स्वयं के करेतर राजस्व	84,017	97,178	13,161	15.7	538.3
(ख) केंद्र से अनुदान	1,68,683	1,79,206	10,523	6.2	430.4
II. राजस्व व्यय	8,37,238	8,54,051	16,813	2.0	100.0
जिसमें से:					
(i) विकासात्मक व्यय	4,92,443	5,15,929	23,486	4.8	139.7
जिसमें से:					
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,54,781	1,61,519	6,738	4.4	40.1
परिवहन तथा संचार	20,227	22,519	2,292	11.3	13.6
बिजली	32,020	34,248	2,228	7.0	13.3
प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत	5,540	10,378	4,838	87.3	28.8
ग्रामीण विकास	43,147	29,640	-13,507	-31.3	-80.3
(ii) विकासेतर व्यय	3,21,907	3,16,504	-5,403	-1.7	-32.1
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवाएं	74,389	71,249	-3,140	-4.2	-18.7
पेंशन	87,220	87,271	51	0.1	0.3
ब्याज भुगतान	1,16,427	1,15,904	-524	-0.4	-3.1
III. पूँजी प्राप्तियां	2,25,014	2,37,355	12,341	5.5	100.0
जिसमें से:					
ऋणेतर पूँजी प्राप्तियां	2,216	361	-1,855	-83.7	-15.0
IV. पूँजीगत व्यय	2,18,540	2,26,580	8,041	3.7	100.0
जिसमें से:					
पूँजी परिव्यय	1,60,247	1,60,407	160	0.1	2.0
जिसमें से:					
शहरी विकास के लिए पूँजी परिव्यय	2,502	2,833	331	13.2	4.1
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए पूँजी परिव्यय	45,905	47,346	1,440	3.1	17.9
बिजली के लिए पूँजी परिव्यय	15,478	17,713	2,236	14.4	27.8
परिवहन के लिए पूँजी परिव्यय	28,859	32,062	3,203	11.1	39.8
बिजली के लिए पूँजी परिव्यय	16,690	18,728	2,038	12.2	25.4
ज्ञापन मद:					
राजस्व धारा	32,295	46,663	14,368	44.5	
सकल राजकोषीय धारा	1,99,510	2,16,101	16,591	8.3	
प्राथमिक धारा	83,083	1,00,197	17,115	20.6	

ब.अ.: बजट अनुमान सं.अ.: संशोधित अनुमान
टिप्पणी सारणी III.2 की टिप्पणी देखें।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

* : संबंधित जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

4.8 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में राजस्व व्यय में बढ़ोतरी हुई और यह शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति, प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत, बिजली, सिंचाई तथा परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में विकासात्मक व्यय में हुई बढ़ोतरी के कारण थी।

राज्य सरकारें बजट अनुमानों की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में मुख्यतः प्रतिबढ़ व्यय से संबंधित विकासेतर व्यय (3,613 करोड़ रुपए) को रोकने में सफल हुई। 2009-10 (सं.अ.) के अनुसार प्रशासनिक सेवाओं तथा ब्याज भुगतानों के संबंध में किए गए व्यय उनके संबंधित बजट

अनुमानों से कम थे। परंतु 2008-09 (लेखा) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित व्यय उच्चतर था जो वर्ष के दौरान छठे केंद्रीय वेतन आयोग/राज्य वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू किए जाने के कारण मजदूरी तथा वेतन में हुई वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है।

4.9 समग्र समाष्टि आर्थिक गिरावट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों को राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाकर जीएसडीपी का 4.0 प्रतिशत करने की अनुमति दी। इस प्रकार 2009-10 में राज्यों को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त बाजार उधार लेने की अनुमति दी गई। इस अतिरिक्त राजकोषीय संसाधन का उपयोग पूँजीगत निवेश के लिए किया जाना था। जहां राज्य सरकारों के पूँजी परिव्यय तथा निवल उधार उनके बजटीय स्तर के लगभग समान रहे वहीं 2009-10 (ब.अ.) की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया जो मुख्यतः बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व घाटे में वृद्धि होने की वजह से था।

4. बजट अनुमान : 2010-11

4.10 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में परिकल्पित लक्ष्यों की तुलना में राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आयी जो प्रतिचक्रीय राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को लागू किए जाने, आर्थिक परिवेश में गिरावट के अनुरूप कर राजस्व में चक्रीय गिरावट आने (विशेष रूप से 2008-09 में) तथा छठे केंद्रीय वेतन आयोग/राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को लागू किए जाने के कारण थी। तथापि 2010-11 में वृद्धि की बेहतर संभावना को देखते हुए राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार होने की आशा है। 2010-11 के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में किए गए बजट अनुमानों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारें राजकोषीय समेकन की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रमुख घाटा संकेतक

4.11 2009-10 (सं.अ.) में जीडीपी के 0.7 प्रतिशत के राजस्व घाटे की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में बजटीय 0.3 प्रतिशत के घाटे को देखते हुए राज्य सरकारों के समेकित राजस्व लेखा में सुधार होने की संभावना है। राजस्व लेखा में 2010-11 (ब.अ.) में जो सुधार हुआ उससे राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि परिलक्षित होती है जो राजस्व व्यय

में हुई वृद्धि से अधिक थी (सारणी IV.4)। मुख्य रूप से राज्यों के स्वयं के राजस्व तथा केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में वृद्धि होने के कारण 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होने की संभावना है।

4.12 जीडीपी के अनुपात के रूप में कम पूँजी परिव्यय के साथ-साथ 2009-10(ब.अ.) में राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि 2009-10(ब.अ.) में जीएफडी 2009-10(सं.अ.) के 3.3 प्रतिशत की तुलना में जीएफडी-जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के स्तर पर बना रहेगा।

4.13 राज्य वित्त की एक उल्लेखनीय सकारात्मक विशेषता यह है कि बजट में राजस्व घाटे के कम स्तर को देखते हुए 2009-10(सं.अ.) की तुलना में 2009-10(ब.अ.) में पूँजी परिव्यय जीएफडी के प्रतिशत के रूप में अधिक होगा। यह उल्लेखनीय है कि 2006-07 से 2008-09 तक राज्यों का पूँजी परिव्यय जीएफडी से अधिक था जो यह दर्शाता है कि न केवल उधार ली गयी पूरी राशि बल्कि राजस्व प्राप्तियों का एक हिस्सा भी पूँजी परिव्यय के रूप में लगाया गया। तेरहवें वित्त आयोग की परिकल्पना के अनुसार यदि अधिकांश राज्य सरकारें 2011-12 तक राजस्व संतुलन अथवा राजस्व अधिशेष की स्थिति में आ जाती हैं तो पूँजी परिव्यय-जीएफडी अनुपात को फिर से 100 प्रतिशत अथवा अधिक तक लाया जा सकेगा जिससे राज्यों की दीर्घावधि वृद्धि की संभावनाओं में संभावनाएं बेहतर होंगी।

राजस्व प्राप्तियां

4.14 2010-11 में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व(ओटीआर) तथा केंद्र से कर के न्यागमन (डेवलूशन) दोनों के लिए किये गये उच्चतर बजट अनुमानों से ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें वृद्धि की संभावना के प्रति काफी आशावादी हैं। जहां आर्थिक मंदी के कारण राज्यों के ओटीआर में 2008-09 तथा 2009-10 (सं.अ.) में गिरावट आई वहीं इसका असर केंद्र से राज्यों को किये जाने वाले कर राजस्व के सांविधिक अंतरण पर अधिक स्पष्ट था। बजट में 2010-11(ब.अ.) में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में राज्यों के ओटीआर तथा केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि दिखायी गई है। केंद्रीय करों में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से में जो वृद्धि दिखायी गयी है वह केंद्र के सकल कर राजस्व में होने वाली वृद्धि के अनुरूप है। इसके विपरीत केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जानेवाले अनुदान में कम राशि का बजट किए जाने तथा 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में राज्यों के ओएनटीआर में गिरावट

सारणी IV.4: प्रमुख मदों में घटबढ़ - 2009-10(सं.अ.) की तुलना में 2010-11(ब.अ.)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	घटबढ़		घटबढ़ में हिस्सा [*] (प्रतिशत)
			राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	8,07,388	9,13,038	1,05,650	13.1	100.0
(i) कर राजस्व (क.+ख)	5,31,004	6,27,147	96,143	18.1	91.0
(क) स्वयं के कर राजस्व	3,65,527	4,26,682	61,154	16.7	57.9
जिसमें से : बिक्री कर	2,25,227	2,64,848	39,621	17.6	37.5
(ख) केंद्रीय करों में हिस्सा	1,65,477	2,00,466	34,989	21.1	33.1
(ii) करेतर राजस्व	2,76,384	2,85,891	9,506	3.4	9.0
(क) राज्यों के स्वयं के करेतर राजस्व	97,178	1,02,609	5,431	5.6	5.1
(ख) केंद्र से अनुदान	1,79,206	1,83,282	4,075	2.3	3.9
II. राजस्व व्यय	8,54,051	9,37,408	83,357	9.8	100.0
जिसमें से:					
(i) विकासात्मक व्यय	5,15,929	5,59,713	43,785	8.5	52.5
जिसमें से:					
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,61,519	1,84,751	23,232	14.4	27.9
परिवहन तथा संचार	22,519	20,816	-1,702	-7.6	-2.0
बिजली	34,248	33,305	-942	-2.8	-1.1
प्राकृतिक आपदा के संबंध में राहत	10,378	5,323	-5,055	-48.7	-6.1
ग्रामीण विकास	29,640	33,499	3,860	13.0	4.6
(ii) विकासेतर व्यय	3,16,504	3,51,476	34,972	11.0	42.0
जिसमें से:					
प्रशासनिक सेवाएं	71,249	83,187	11,938	16.8	14.3
पेशन	87,271	95,018	7,747	8.9	9.3
व्याज भुगतान	1,15,904	1,28,656	12,752	11.0	15.3
III. पूँजी प्राप्तियां	2,37,355	2,42,860	5,505	2.3	100.0
जिसमें से:					
ऋणेतर पूँजी प्राप्तियां	361	3,155	2,794	774.3	50.8
IV. पूँजीगत व्यय	2,26,580	2,37,176	10,596	4.7	100.0
जिसमें से:					
पूँजी परिव्यय	1,60,407	1,66,703	6,296	3.9	59.4
जिसमें से:					
सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए पूँजी परिव्यय	47,346	49,265	1,919	4.1	18.1
बिजली के लिए पूँजी परिव्यय	17,713	14,531	-3,182	-18.0	-30.0
परिवहन के लिए पूँजी परिव्यय	32,062	32,419	357	1.1	3.4
ज्ञापन मदें:					
राजस्व धारा	46,663	24,370	-22,293	-47.8	
सकल राजकोषीय धारा	2,16,101	1,98,539	-17,562	-8.1	
प्राथमिक धारा	1,00,197	69,883	-30,314	-30.3	

ब.अ.: बजट अनुमान.

सं.अ.: संबंधित अनुमान.

* : संबंधित जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

टिप्पणी सारणी IV.2 की टिप्पणी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।


आने की संभावना को देखते हुए 2010-11 (ब.अ.) में राज्यों के समेकित करेतर राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट आने की संभावना है (सारणी IV.5 तथा परिशिष्ट सारणी 3)।

4.15 बजट में जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियां (आरआर-जीडीपी) 2009-10 (सं.अ.) के 12.3 प्रतिशत से घटकर 2010-11 (ब.अ.) में 11.6 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। केंद्र के

स्तर पर कर राजस्व की बसूली में वृद्धि के चलते 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों के राज्यों के निवल हिस्से में वृद्धि हेतु की गई सिफारिशों के बावजूद केंद्र द्वारा न्यागमन के जरिए राज्यों को किए जानेवाले करों का अंतरण 2010-11 में जीडीपी के अनुपात के रूप में पिछले वर्ष के समान ही रहने की संभावना है। अनुदान की राशि में कमी आने के साथ-साथ करेतर राजस्व (जीडीपी के अनुपात के रूप में) का

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

संग्रहण पूर्ववत् रहने को देखते हुए 2010-11 (ब.अ.) में राज्यों को किए जानेवाले समग्र चालू अंतरणों की राशि में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत अंक के बराबर की गिरावट आने की संभावना है। राज्यों के स्वयं के राजस्व के संग्रहण के मोर्चे पर जीडीपी की तुलना में ओटीआर का अनुपात 2009-10 के 5.6 प्रतिशत से घटकर 2010-11 (ब.अ.) में 5.4 प्रतिशत रह जाने की संभावना है (सारणी IV.5 तथा परिशिष्ट सारणी 3)। फिर भी राज्य को आशा है कि उन्हें प्रमुख करों यथा- वैट, स्टॅम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क तथा संपत्ति कर के जरिए उच्चतर वसूली होगी। तथापि मुख्यतः व्याज प्राप्तियों तथा राज्य सरकारों की बिजली क्षेत्र से करेतर राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आने के कारण 2010-11 में राज्यों के ओएनटीआर-जीडीपी अनुपात मामूली रूप से कम रहने की संभावना है (चार्ट IV.1)। तेरहवें वित्त आयोग ने नोट किया है कि राज्यों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली की वर्तमान स्थिति अति खराब है।



सारणी IV.5: राज्य सरकारों की सकल प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	घटबढ़ (प्रतिशत)	
	(औसत)	कॉलम 9/8	कॉलम 10/9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
सकल प्राप्तियां (1+2)	1,23,415 (16.0)	2,31,618 (14.8)	4,40,076 (17.1)	5,95,627 (16.1)	6,73,605 (15.7)	7,65,735 (15.4)	8,91,292 (16.0)	10,44,743 (15.9)	11,55,898 (14.7)	17.2	10.6
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	92,679 (12.0)	1,65,416 (10.7)	2,85,662 (11.1)	4,31,020 (11.7)	5,30,556 (12.4)	6,23,748 (12.5)	6,94,657 (12.4)	8,07,388 (12.3)	9,13,038 (11.6)	16.2	13.1
क. राज्यों के स्वयं के राजस्व (i+ii)	55,546 (7.2)	1,03,542 (6.7)	1,78,171 (6.9)	2,60,246 (7.0)	3,15,812 (7.4)	3,63,723 (7.3)	4,03,682 (7.2)	4,62,705 (7.1)	5,29,291 (6.7)	14.6	14.4
i. राज्यों के स्वयं के कर	41,158 (5.3)	78,733 (5.1)	1,41,933 (5.5)	2,12,307 (5.7)	2,52,548 (5.9)	2,86,546 (5.7)	3,21,930 (5.8)	3,65,527 (5.6)	4,26,682 (5.4)	13.5	16.7
ii. राज्यों के स्वयं के करेतर	14,388 (1.8)	24,809 (1.6)	36,238 (1.4)	47,939 (1.3)	63,263 (1.5)	77,178 (1.5)	81,751 (1.5)	97,178 (1.5)	1,02,609 (1.3)	18.9	5.6
ख. केंद्र से अंतरण (i+ii)	37,133 (4.8)	61,874 (4.0)	1,07,491 (4.2)	1,70,774 (4.6)	2,14,744 (5.0)	2,60,024 (5.3)	2,90,976 (5.2)	3,44,683 (5.3)	3,83,747 (4.9)	18.5	11.3
i. हिस्सेदारीवाले कर	19,790 (2.6)	37,607 (2.4)	61,047 (2.4)	94,024 (2.5)	1,20,293 (2.8)	1,51,402 (3.0)	1,61,052 (2.9)	1,65,477 (2.5)	2,00,466 (2.5)	2.7	21.1
ii. सहायता अनुदान	17,343 (2.3)	24,267 (1.6)	46,444 (1.8)	76,750 (2.1)	94,451 (2.2)	1,08,622 (2.2)	1,29,923 (2.3)	1,79,206 (2.3)	1,83,282 (2.3)	37.9	2.3
2. पूँजी प्राप्तियां (क+ख)	30,737 (4.0)	66,202 (4.1)	1,54,415 (5.9)	1,64,607 (4.5)	1,43,049 (3.3)	1,41,987 (2.8)	1,96,634 (3.5)	2,37,355 (3.6)	2,42,860 (3.1)	20.7	2.3
क. केंद्र से ऋण@	14,632 (1.9)	26,440 (1.7)	24,337 (1.0)	8,097 (0.2)	5,717 (0.1)	7,252 (0.1)	7,005 (0.1)	12,783 (0.2)	15,445 (0.2)	82.5	20.8
ख. अन्य पूँजीगत प्राप्तियां	16,104 (2.1)	39,762 (2.4)	1,30,078 (5.0)	1,56,510 (4.2)	1,37,331 (3.2)	1,34,736 (2.7)	1,89,629 (3.4)	2,24,571 (3.4)	2,27,414 (2.9)	18.4	1.3

सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

@ 1999-2000 से लेखाविधि की प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण अल्प बचतों में राज्यों के हिस्से, जिन्हें पहले केंद्र से ऋण के अंतर्गत दिखाया जाता था, को अंतरित ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है तथा उन्हें केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिशतों के रूप में दिखाया जाता है। परंतु, तुलना की सुविधा हेतु इस सारणी में रिपोर्ट किए गए 1999-2000 से पूर्व के आंकड़ों में अल्प बचत की जमानत पर दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 1. अवधियों के दौरान अधिक सार्थक तुलना की दृष्टि से 5-वर्ष के औसत दिए गए हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

3. पूँजीगत प्राप्तियों में निवल आधार पर सार्वजनिक लेखे शामिल हैं। परिशिष्ट के संबंध में दी गई टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

4.16 सार्वजनिक सेवाओं की लागत की वसूली का मुद्दा राज्य वित्त के लिए चिंता का कारण रहा है। सामान्यतः यह देखा गया है कि सामाजिक सेवाओं की लागत की वसूली (योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में) आर्थिक सेवाओं से कम रही है। 2010-11 (ब.अ.) में शिक्षा पर किए गए व्यय की लागत की वसूली में सुधार होने की आशा है जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में किए गए व्यय की वसूली पूर्ववत् रहने की संभावना है (सारणी IV.6)। 2009-10 में सिंचाई क्षेत्र में लागत की वसूली में सुधार आया था जिसके 2010-11 (ब.अ.) में भी जारी रहने की संभावना है। बिजली क्षेत्र की लागत की वसूली में 2009-10 (सं.अ.) में कुछ सुधार हुआ था, परंतु 2010-11 (ब.अ.) में इसमें मामूली गिरावट आने की संभावना है। तेरहवें वित्त आयोग का अनुमान है कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी लागत और वसूली के अंतर को पाठने के लिए बिजली की दरों में औसतन 7 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जबकि खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों को बिजली की दरों में प्रति वर्ष 19 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बिजली क्षेत्र में वसूली के खराब प्रदर्शन का कारण बिजली की दरों के युक्तिसंगत न रहने एवं संचार और वितरण में अधिक हानि होना है।

4.17 सिंचाई परियोजनाओं की वसूली में क्रमशः सुधार हो रहा है परंतु सिंचाई परियोजनाओं की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए

यह पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में पानी की कम दर, वसूली की खराब स्थिति, उच्च स्थापना लागत एवं सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव में कमी जैसे मुद्दों का हल निकालना होगा। तेरहवें वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि सिंचाई क्षेत्र से होनेवाली प्राप्तियां परिचालन संबंधी व्यय एवं परियोजना के रखरखाव में होनेवाले व्यय तक को पूरा नहीं कर पाती है। सिंचाई क्षेत्र की वसूली की दरें विशेष श्रेणी के राज्यों में अत्यधिक कम हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तेरहवें वित्त आयोग ने रखरखाव व्यय के अतिरिक्त, जल क्षेत्र अनुदान का प्रावधान करने की सिफारिश की है, परंतु यह शर्त भी रखी है कि राज्यों को वसूली की स्थिति में सुधार करना होगा।

4.18 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्यों को काम न करने वाले राज्यस्तरीय सार्वजनिक उद्यमों (एसएलपीई) को बंद करने के लिए कार्ययोजना बनानी होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारों को एसएलपीई के विनिवेश तथा निजीकरण के लिए विचार करना चाहिए तथा इसे साकार करने के लिए सक्रियता से कार्य करना चाहिए। परिचालनात्मक दक्षता तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता की कमी राज्य वित्त की हानियों के मुख्य कारण रहे हैं (बॉक्स IV.1)।

**सारणी IV.6: चुनिंदा सेवाओं की लागत की वसूली
(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व का प्रतिशत)**

(प्रतिशत)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क. सामाजिक सेवाएं जिसमें से:											
(क) शिक्षा *	1.2	1.3	1.6	1.8	2.1	2.8	2.6	2.8	2.7	3.0	3.6
(ख) स्वास्थ्य **	4.6	6.2	5.4	4.7	6.2	4.7	5.1	4.7	6.8	4.6	4.6
ख. आर्थिक सेवाएं जिसमें से:											
(क) सिंचाई #	8.1	7.5	8.4	15.3	16.4	14.5	15.0	15.5	15.3	17.7	20.2
(ख) बिजली	6.5	6.5	9.7	2.8	11.7	12.3	16.7	16.5	15.6	22.6	20.4
(ग) सड़क @	16.3	19.6	15.6	21.5	14.6	11.6	7.6	6.5	5.8	5.8	7.8

सं.अ.: संशोधित अनुमान।

ब.अ.: बजट अनुमान।

* : खेलकूद, कला और संस्कृति संबंधी व्यय भी शामिल हैं। ** : चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी व्यय शामिल हैं।

: योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए यह प्रमुख, मध्यम आकारवाली तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित है।

@ : योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़कों और पुलों से संबंधित है, जबकि करेतर राजस्व के लिए सड़क परिवहन से संबंधित है।

टिप्पणी: बिजली क्षेत्र की लेखांकन की विधि सभी राज्यों में एक समान नहीं है जिसके चलते कई बार वर्षों के दौरान समायोजन करने की जरूरत पड़ी। अतः अनुपातों में अंतर दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा राज्यों को बिजली के अंतर्गत एकबारी करेतर राजस्व प्राप्त हुई थी। उदाहरणार्थ आहलुवालिया समिति की सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को 2003-04 के दौरान 2,749 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी जिसे 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई थी। इस राशि को यहां शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) से प्राप्त हुई करेतर प्रवृत्ति की राशि, जैसे कि 2004-05 में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई 240 करोड़ रुपये तथा 2004-05 में उत्तराखण्ड को प्राप्त हुए 134 करोड़ रुपये को शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित।

बॉक्स 4.1 : राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम तथा राज्य वित्त

राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम (एसएलपीई) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रणाली के एक महत्वपूर्ण खंड रहे हैं। पूर्व में एसएलपीई सार्वजनिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रभागी उपकरण रहे हैं। एसएलपीई विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि औद्योगिक विकास, वित्तीय संवर्धन, व्यापार, विपणन, संविदा तथा निर्माण सेवाएं, पर्यटन तथा उपभोक्ता एवं इंजीनियरी, कृषिगत, खनिज वस्तुओं तथा धातुओं का उत्पादन। कई एसएलपीई का गठन राज्य में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया था। 25 राज्य तथा 1 संघशासित क्षेत्र के 2008-09 के आंकड़ों के अनुसार 1,212 एसएलपीई (कार्यरत तथा बंद पड़े) का कुल कारोबार 3.65 लाख करोड़ रुपए का था जो कि जीडीपी का 6.5 प्रतिशत है। मार्च 2007 में एसएलपीई में काम करनेवाले लोगों की संख्या 18.7 लाख थी।

मार्च 2009 के अंत में एसएलपीई का कुल निवेश लगभग 4,39,511 करोड़ रुपए का था। एसएलपीई में कुल निवेश का अधिकांश हिस्सा बिजली क्षेत्र में है। एसएलपीई में इकिवटी पूँजी तथा ऋण के रूप में जो व्यापक स्तर का निवेश होता है उससे यह आशा की जाती है कि इन उद्यमों से राज्य के खजाने में उल्लेखनीय योगदान होगा। इन अपेक्षाओं के विपरीत ये उद्यम राज्य सरकारों के वित्त की बेहतरी में बाधक साबित हुए।

समेकित आधार पर केवल 9 राज्यों के एसएलपीई ने 2008-09 के दौरान लाभ अर्जित किए जबकि संचयी रूप में केवल 6 राज्यों ने मार्च 2009 के अंत में संचयी लाभ दर्शाया। 2008-09 के दौरान एसएलपीई की हानियों की कुल राशि 9,453.2 करोड़ रुपए थी। संचयी आधार पर मार्च 2009 के अंत में एसएलपीई की संचित हानि की राशि 68,771 करोड़ रुपए थी। चूंकि अधिकांश राज्यों में परिचालनरत एसएलपीई घटे में चल रहे हैं अतः ये अपने परिचालन को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों के समर्थन पर निर्भर रहते हैं। एसएलपीई को बजटीय समर्थन इकिवटी, ऋण तथा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है (चार्ट के तथा ख)। वर्षों के दौरान ऐसे समर्थन में वृद्धि होती रही है, फिर भी एसएलपीई के निष्पादन में सुधार के कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अधिकांश राज्यों में नियोजित पूँजी का औसत प्रतिलाभ निचले स्तर पर बना हुआ है।

25 राज्यों तथा एक संघशासित क्षेत्र की सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 2008-09 के दौरान इकिवटी, ऋण तथा सब्सिडी/अनुदान हेतु बजट में प्रावधान की गई राशि लगभग 70,193.6 करोड़ रुपए थी। एसएलपीई को बजट से दी गई राशि का लगभग 58.2 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में था जबकि इकिवटी तथा ऋण के हिस्से का प्रतिशत क्रमशः 31.3 प्रतिशत तथा 10.5 प्रतिशत था। तथापि एसएलपीई में किए गए निवेश से राज्यों को मिलनेवाला प्रतिलाभ नगाय था। अधिकांश राज्यों में एसएलपीई के लिए लाभांश संबंधी कोई नीति नहीं है। केवल कुछ राज्यों, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल तथा मध्य

प्रदेश ने लाभांश संबंधी नीति बनायी है। यह देखा गया है कि लाभ कमानेवाले कुछ ही एसएलपीई ने लाभांश का वितरण किया है। उदाहरणार्थ, कार्यरत 894 एसएलपीई में से 440 एसएलपीई ने 2008-09 में लाभ कमाया परंतु उनमें से केवल 73 एसएलपीई ने लाभांश का वितरण किया जिसकी राशि 572 करोड़ रुपए थी। अन्य शब्दों में जिन राज्यों में लाभांश वितरण संबंधी नीतियां हैं वहां भी एसएलपीई द्वारा इसका पूर्णतः पालन नहीं किया जाता। इस प्रकार 2008-09 में लाभांश का हिस्सा सभी एसएलपीई (लाभ कमानेवाले, दोनों) की कुल इकिवटी का 0.5 प्रतिशत रहा। यह प्रतिलाभ अत्यधिक कम है तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए इकिवटी पर 5 प्रतिशत के प्रतिलाभ के स्तर से काफी कम है।


प्रत्यक्ष समर्थन के अतिरिक्त कई राज्य सरकारें एसएलपीई को गारंटीयां तथा छूट की सुविधा देती हैं। 2008-09 के दौरान राज्य सरकारें द्वारा एसएलपीई को दी गई गारंटी की राशि 63,707 करोड़ रुपए थी जबकि मार्च 2009 में राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों की कुल राशि 1,04,608 करोड़ रुपए थी। यद्यपि एसएलपीई द्वारा ली गई उधारियों के संबंध में गारंटी देने के लिए राज्य सरकारें शुल्क लेती हैं फिर भी कई मामलों में इसका भुगतान वर्षों तक नहीं किया जाता। 2008-09 में राज्य सरकारों द्वारा एसएलपीई के व्याज तथा ऋण को बढ़े खाते में डालकर दी गई छूट की राशि 651 करोड़ रुपए थी। एसएलपीई को दिए जानेवाले इस प्रकार के सभी समर्थन का राज्य के वित्त पर प्रभाव पड़ता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा पंजाब ऐसे राज्य थे जिनके द्वारा एसएलपीई को दी गई सब्सिडी का स्तर काफी अधिक था। जिन कारणों से एसएलपीई में हानियां हुई उनमें मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, आयोजना, परियोजना के कार्यान्वयन, नियमित परिचालन तथा निगरानी में कमियां शामिल हैं।

जहां तक एसएलपीई के पुनर्गठन का संबंध है, तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि कल्याण और उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर सभी कार्यरत एसएलपीई को वित्तीय रूप से व्यवहार्य होने की जरूरत है। मूल क्षेत्र से इतर क्षेत्रों में कार्यरत हानि पर चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करने के लिए विचार किया जाना चाहिए तथा सभी राज्य सरकारों को महालेखापाल के परामर्श से ऐसे एसएलपीई को बंद करने के लिए मार्च 2011 तक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण चिंता के विषय में एसएलपीई के लेखों का निर्णयन, उनका वित्तीय दायित्व तथा राजकोषीय पारदर्शिता शामिल हैं। इन एसएलपीई के संबंध में राज्य सरकारों की आकस्मिक देयताओं को देखते हुए उपचित लेखांकन को भविष्य में अपनाए जाने से पूर्व इस समस्या का समाधान समय पर करना होगा।

संदर्भ


भारत के नियंत्रक व महालेखापाल की राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के विभिन्न अंक। भारत सरकार (2009), तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, दिसंबर, खंड I।

चार्ट क: एसएलपीई के राज्यवार संचित लाभ (+)/हानियां (-)
(मार्च 2009 के अंत में)



स्रोत : राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के विभिन्न अंकों से संकलित।

चार्ट ख: एसएलपीई के संबंध में बजट से दी गई कुल सहायता




राजस्व व्यय

4.19 मुख्य रूप से विकासात्मक राजस्व व्यय में होनेवाली वृद्धि की दर कम रहने के चलते बजट में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में राज्य सरकारों के समेकित राजस्व व्यय में काफी कमी आने का अनुमान है। समाज सेवा संबंधी व्यय की सभी श्रेणियों यथा-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा शहरी विकास - में 2010-11 (ब.अ.) में वृद्धि की दर कम रहने की संभावना है। बजट में आर्थिक सेवाओं के संबंध में खाद्य भंडारण, सहकारिता, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, बिजली तथा परिवहन एवं संचार क्षेत्रों में राज्यों के व्यय में 2010-11 में कम राशि (मात्रात्मक रूप में) निर्धारित की गई है। इसके विपरीत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में होनेवाले राजस्व व्यय में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से अधिक रखी गई है। मुख्यतः केंद्र से लिये गए ऋण के संबंध में ब्याज का भुगतान कम रहने तथा प्रतिबद्ध व्यय के अन्य प्रमुख घटकों जैसे पेंशन, प्रशासनिक सेवाओं संबंधी व्यय में मामूली वृद्धि होने को देखते हुए 2010-11 के बजट में विकासेतर राजस्व व्यय, जोकि राजस्व व्यय का 37.5 प्रतिशत है, में कम वृद्धि होने की संभावना है। तदनुसार 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में प्रतिबद्ध व्यय मामूली घटकर 33.6 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है (चार्ट IV.2 तथा परिशिष्ट सारणी 4)।

पूंजीगत प्राप्तियां

4.20 राज्यों के बजट में समेकित स्तर पर 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में पूंजी प्राप्तियों की वृद्धि दर पहले की तुलना में कम है जिसकी बजह मुख्यतः ऋण तथा अग्रिमों एवं राष्ट्रीय अल्प बचत योजना (एनएसएसएफ) के अंतर्गत जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के संबंध में वसूली कम होना है। राज्यों का अनुमान है कि 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 (ब.अ.) में ऋण तथा अग्रिमों की वसूली कम रहेगी जबकि इसी अवधि में केंद्र से मिलनेवाले ऋण की राशि में वृद्धि होगी। इसी प्रकार राज्यों ने बजट में 2010-11 में बाजार से लिए जानेवाले उधार(सकल) की राशि में 5.8 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि का लक्ष्य रखा है (2008-09 की तुलना में 2009-10 (सं.अ.) में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि)।




2009-10 (सं.अ.) में अल्प बचत तथा भविष्य निधि संग्रहण (निवल) में 2009-10 में 55.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो अंशतः राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई बकाया राशि के प्रभाव को दर्शाता है। तथापि 2010-11 (ब.अ.) में अल्प बचत तथा भविष्य निधि (निवल) में 7.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट आने की संभावना है (परिशिष्ट सारणी 5)।

4.21 जहां तक पूंजी प्राप्तियों की संरचना का प्रश्न है 2010-11 में राज्यों की बाजार उधारियों पर निर्भरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 2010-11 में जहां केंद्र से प्राप्त होनेवाले ऋण (सकल) का हिस्सा 2009-10 (सं.अ.) के 5.4 प्रतिशत की तुलना में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है वहीं 2010-11 (ब.अ.) में पूंजी प्राप्तियों में एनएसएसएफ का हिस्सा कम रहने का अनुमान किया गया है (सारणी IV.5 तथा चार्ट IV.3)।

पूंजीगत व्यय

4.22 कई राज्य सरकारों ने अपने बजटों की घोषणा करते समय 2009-10 में उच्चतर पूंजीगत व्यय करने का प्रस्ताव किया था। 2010-11 (ब.अ.) में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में पूंजी व्यय के स्तर में मामूली वृद्धि होने की संभावना है। राज्यों ने जहां बजट में विकासात्मक कार्यकलापों के लिए पूंजीगत परिव्यय में कम राशि

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति



का निर्धारण किया है (2009-10 के 12.0 प्रतिशत की तुलना में 1.6 प्रतिशत) वहीं विकासेतर कार्यकलापों के लिए यह राशि 2009-10

(सं.अ.) के 25.5 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक अर्थात् 58.0 प्रतिशत रहने की संभावना है, हालांकि यह कुल पूँजी परिव्यय का 6.3 प्रतिशत ही है। उसी प्रकार 2010-11 में राज्यों के बजट में ऋण और अग्रिम में 14.5 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। संक्षेप में, जैसा कि 2010-11 के पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति से स्पष्ट होता है, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम रहने से राज्यों द्वारा किए जा रहे राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के बारे में आशंका होती है (सारणी IV.7 तथा परिशिष्ट सारणी 6)।

केंद्र से संसाधनों के न्यागमन और अंतरण

4.23 प्रवृत्ति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि केंद्र से राज्यों को होनेवाले अंतरण की संरचना मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था की समष्टि आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है। करों के न्यागमन तथा सहायता अनुदान के चक्रीय व्यवहार के आधार पर यह पाया गया है कि कर के न्यागमन जीडीपी में वृद्धि के साथ बढ़ता है जबकि सहायता अनुदान

सारणी IV.7: राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्ति

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	घटबद्ध (प्रतिशत)	
	(औसत)									कॉलम 9/8	कॉलम 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सकल व्यय (1+2 = 3+4+5)	1,22,270 (15.9)	2,33,441 (14.9)	4,37,299 (17.0)	5,61,682 (15.2)	6,57,280 (15.3)	7,52,324 (15.1)	8,82,333 (15.8)	10,80,632 (16.5)	11,74,584 (14.9)	22.5	8.7
1. राजस्व व्यय जिसमें से:	98,009	1,93,816	3,40,752	4,38,034	5,05,699	5,80,805	6,81,985	8,54,051	9,37,408	25.2	9.8
ब्याज का भुगतान	13,605 (1.7)	31,421 (2.0)	69,685 (2.7)	84,024 (2.3)	93,180 (2.2)	99,831 (2.0)	102,955 (1.8)	1,15,904 (1.8)	1,28,656 (1.6)	12.6	11.0
2. पूँजीगत व्यय जिसमें से:	24,261	39,625 (3.2)	96,547 (2.5)	1,23,648 (3.6)	1,51,582 (3.3)	1,71,520 (3.5)	2,00,347 (3.4)	2,26,580 (3.6)	2,37,176 (3.5)	13.1	4.7
पूँजी परिव्यय	11,893 (1.5)	21,044 (1.4)	41,856 (1.6)	77,559 (2.1)	98,063 (2.3)	1,18,862 (2.4)	1,42,628 (2.6)	1,60,407 (2.4)	1,66,703 (2.1)	12.5	3.9
3. विकासात्मक व्यय	81,989 (10.7)	1,45,852 (9.4)	2,39,576 (9.4)	3,30,044 (8.9)	3,92,165 (9.2)	464,462 (9.3)	5,67,086 (10.2)	6,86,537 (10.5)	7,30,231 (9.3)	21.1	6.4
4. विकासेतर व्यय	33,734 (4.3)	76,035 (4.8)	1,50,715 (5.9)	1,90,021 (5.1)	211,872 (4.9)	2,33,233 (4.7)	2,54,981 (4.6)	3,23,657 (4.9)	3,62,492 (4.6)	26.9	12.0
5. अन्य*	6,547 (0.9)	11,554 (0.7)	47,009 (1.7)	41,617 (1.1)	53,243 (1.2)	54,630 (1.1)	60,265 (1.1)	70,437 (1.1)	81,861 (1.0)	16.9	16.2

*: औसत। सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

*: केंद्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण की चुकौती, सहायता अनुदान तथा अंशदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. अवधियों के दौरान सार्थक तुलना की दृष्टि से 5-वर्ष का औसत दिया गया है।

2. कोषकों में दिये गये आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

3. पूँजीगत व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं हैं। परिशिष्ट सारणियों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

जीडीपी में वृद्धि के साथ घटता है (चार्ट IV.4)⁵। ऐसी प्रवृत्ति 2008-09 तथा 2009-10 (सं.अ.) में तब देखी गई थी जब वृद्धि की अवधि की तुलना में केंद्र से करों के न्यागमन की राशि काफी कम थी (वृद्धि एवं जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) जिसकी भरपाई कुछ हद तक केंद्र से अधिक राशि का अनुदान प्राप्त करके की गई थी। 2010-11 (ब.अ.) में वृद्धि दर में बेहतरी आने के चलते राज्यों को करों के न्यागमन (राशि के रूप में) के जरिए अधिक संसाधन प्राप्त होने की संभावना है जबकि अनुदान पर उनकी निर्भरता में कमी आने (जीडीपी के रूप में) की संभावना है। केंद्र से होनेवाले सकल अंतरण (अर्थात् हिस्सेदारी वाले कर, सहायता अनुदान तथा केंद्र से प्राप्त होनेवाले ऋण) मुख्यतः जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुदान में कमी आने की संभावना को देखते हुए, 2009-10 (सं.अ.) के जीडीपी के 5.5 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 5.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है (परिशिष्ट सारणी 7)।


सकल व्यय की प्रवृत्ति

4.24 राज्यों की विकास संबंधी जरूरतों को देखते हुए राज्यों के विकासात्मक तथा सामाजिक क्षेत्र संबंधी व्यय का परीक्षण करना जरूरी है। 2010-11 (ब.अ.) में राज्यों के सकल व्यय की प्रवृत्ति कुल व्यय

में विकासात्मक व्यय के हिस्से में गिरावट दर्शाती है। इसका कारण विशेष रूप से आर्थिक सेवाओं यथा-खाद्य भंडारण, सहकारिता तथा बिजली परियोजनाओं में विकासात्मक पूँजी परिव्यय के हिस्से में तेजी से गिरावट आना है। बजट में 2010-11 में राशि के रूप में विकासात्मक प्रयोजनों के लिए राज्यों के ऋण तथा अग्रिमों की राशि पहले की तुलना में कम है जो कुल विकासात्मक व्यय के उनके हिस्से में तदनुरूप गिरावट आने की वजह से है। विकासात्मक व्यय का एक प्रमुख हिस्सा अभी भी राज्यों के राजस्व लेखा के जरिए व्यय किया जा रहा है (सारणी IV.8 तथा परिशिष्ट सारणी 8 से 15)।

4.25 हाल के वर्षों में राज्यों के सकल व्यय में सामाजिक क्षेत्र व्यय के हिस्से में लगातार वृद्धि देखी जा रही है जिसमें 2010-11 (ब.अ.) में मामूली वृद्धि होने की संभावना है (सारणी IV.9)। तथापि 2010-11 (ब.अ.) में 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में जीडीपी के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र के व्यय के अनुपात (एसएसई-जीडीपी) में गिरावट आने की संभावना है। 2010-11 (ब.अ.) में एसएसई-जीडीपी अनुपात में गिरावट के बावजूद शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सरकारों के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र रहे हैं (सारणी IV.10)। तथापि संसाधनों का उपयोग करते समय राज्यों को अपनी कुशलता में वृद्धि करनी होगी ताकि विकासात्मक गतिविधियों की प्रवृत्ति ने कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

चार्ट IV.4: जीडीपी की तुलना में केंद्र से कर के न्यागमन तथा अनुदान का चक्रीय व्यवहार



सारणी IV.8: कुल व्यय की तुलना में विकासात्मक व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	विकासात्मक राजस्व व्यय	विकासात्मक पूँजीगत परिव्यय	विकासात्मक ऋण तथा अग्रिम	कुल विकासात्मक व्यय
1	2	3	4	5
2008-09	4,14,452 (47.0)	1,37,337 (15.6)	15,297 (1.7)	5,67,086 (64.3)
2009-10 (सं.अ.)	5,15,929 (47.7)	1,53,767 (14.2)	16,841 (1.6)	6,86,537 (63.5)
2010-11 (ब.अ.)	5,59,713 (47.7)	1,56,211 (13.3)	14,307 (1.2)	7,30,231 (62.2)

सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े सकल व्यय का प्रतिशत हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

⁵ कर के न्यागमन तथा वास्तविक जीडीपी के चक्रीय संचरण का सह-संबंध लगभग (+)0.45 है जबकि अनुदान तथा वास्तविक जीडीपी के बीच का सह-संबंध (-)0.21 है।

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

सारणी IV.9 : राज्य सरकारों के सकल सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
	(औसत)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कु.व्य./जीडीपी	15.9	14.9	17.0	15.2	15.3	15.1	15.8	16.5	14.9
एसएसई/जीडीपी	5.8	5.5	5.5	5.1	5.2	5.3	5.9	6.4	5.8
एसएसई/कु.व्य.	36.8	36.7	32.5	33.7	33.9	35.3	37.6	39.1	39.2

सं.अ.: संशोधित अनुमान. ब.अ.: बजट अनुमान. जीडीपी: सकल देशी उत्पाद

कु.व्य.: कुल व्यय एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

5. मूल्यांकन

समेकित स्थिति

4.26 2008-09 तथा 2009-10 में भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा संशोधित वेतन ढांचों के कार्यान्वयन के चलते राज्य सरकारों की समेकित स्थिति में गिरावट आई। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि 2010-11 में राज्य सरकारें राजकोषीय समेकन की ओर बढ़ रही हैं जैसा कि उनके प्रमुख घाटा संकेतकों से स्पष्ट होता है। आशा है कि 28 राज्यों में से 17 राज्यों के बजट में राजस्व अधिशेष रहेगा जबकि 8 राज्यों ने 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा-जीएसडीपी अनुपात में कमी की है। राजस्व लेखा में हुए सुधार के अनुरूप 2010-11

(ब.अ.) में 22 राज्यों ने अपने बजट में जीएफडी-जीएसडीपी में कमी की है जबकि 18 राज्यों ने जीएफडी में मात्रात्मक कटौती की है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2010-11 को राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय समेकन वर्ष के रूप में मनाए जाने को देखते हुए 9 राज्यों द्वारा जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को 3 प्रतिशत (अथवा उससे कम) के स्तर पर बनाए रखे जाने की संभावना है, जैसाकि उनके बजट अनुमानों में निर्दिष्ट किया गया है (सारणी IV.11)।

4.27 राजस्व लेखा में सुधार होने के बावजूद अधिकांश राज्यों के जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में जो गिरावट आयी वह मुख्यतः 2010-11 (ब.अ.) में पूँजी परिव्यय- जीएसडीपी अनुपात (20 राज्यों के) कम रहने की वजह से थी। यह आशा है कि 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व लेखा में जो सुधार होगा वह पूर्णतः आई-जीडीपी अनुपात में

सारणी IV.10 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत लेखा) - संयोजन

(सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
	(औसत)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (क से ठ)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	52.2	52.4	51.4	48.2	47.0	44.7	43.3	44.2	46.1
(ख) चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.6	11.7	11.6	11.4	10.9	10.2	10.4	10.5
(ग) परिवार कल्याण	0.0	2.5	2.0	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.7
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	7.3	7.5	7.7	8.2	7.9	8.2	7.4	5.9	5.0
(ड) आवास	2.9	2.9	2.9	2.3	2.7	3.8	3.8	2.9	3.0
(च) शहरी विकास	2.3	2.6	3.7	4.2	5.7	7.2	8.9	8.9	8.9
(छ) अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. का कल्याण	6.6	6.5	6.5	7.1	6.9	7.1	7.0	6.7	6.9
(ज) श्रम तथा श्रमिक कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1
(झ) सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.5	4.2	5.1	5.7	6.7	7.8	8.9	9.7	9.6
(ज) पोषण	1.7	2.8	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.9	3.7
(ट) प्राकृतिक आपदा पर व्यय	2.6	2.9	3.8	5.2	4.0	2.9	2.9	2.8	1.3
(ठ) अन्य	2.5	2.0	2.1	2.3	2.3	2.4	2.0	2.1	2.3

सं.अ.: संशोधित अनुमान.

ब.अ.: बजट अनुमान.

'-' : उपलब्ध नहीं

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी IV.11: राजस्व घाटा एवं सकल राजकोषीय घाटे में कमी-राज्यवार - 2009-10 (सं.अ.) की तुलना में 2010-11 (ब.अ.)

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2009-10 की तुलना में कमी (सं.अ.) (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत	2009-10 की तुलना में कमी (सं.अ.) (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	-606	3.0	-1,299	10.4
2. बिहार	-6,383	31.7	-5,176	41.4
3. छत्तीसगढ़	-1,018	5.1	71	-0.6
4. गोवा	-274	1.4	-73	0.6
5. गुजरात	146	-0.7	2,515	-20.1
6. हरियाणा	280	-1.4	456	-3.6
7. झारखण्ड	-937	4.7	-1,110	8.9
8. कर्नाटक	38	-0.2	-1,557	12.5
9. केरल	-452	2.2	1,846	-14.8
10. मध्य प्रदेश	3,727	-18.5	1,410	-11.3
11. महाराष्ट्र	-5,076	25.2	-6,611	52.9
12. उड़ीसा	-528	2.6	219	-1.8
13. पंजाब	636	-3.2	1,153	-9.2
14. राजस्थान	-2,895	14.4	-1,439	11.5
15. तमिलनाडु	-1,623	8.1	3,362	-26.9
16. उत्तर प्रदेश	1,433	-7.1	-1,127	9.0
17. पश्चिम बंगाल	-6,613	32.8	-5,143	41.1
कुल (अ)	-20,145	100.0	-12,505	100.0
1. अरुणाचल प्रदेश	-64	3.0	-86	1.7
2. असम	629	-29.3	-774	15.3
3. हिमाचल प्रदेश	350	-16.3	148	-2.9
4. जम्मू और कश्मीर	-754	35.1	-261	5.2
5. मणिपुर	206	-9.6	-38	0.8
6. मेघालय	-114	5.3	-238	4.7
7. मिजोरम	-85	3.9	-344	6.8
8. नागालैंड	-570	26.5	-635	12.6
9. सिक्किम	117	-5.4	8	-0.2
10. त्रिपुरा	-588	27.4	-701	13.9
11. उत्तराखण्ड	-1,276	59.4	-2,135	42.2
कुल (आ)	-2,148	100.0	-5,057	100.0
कुल योग (अ+आ)	-22,293	100	-17,562	100.0
ज्ञापन मर्द:				
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-169	-	-445	-
2. पुदुचेरी	-155	-	208	-

सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।
टिप्पणी: क्रौत्तमक (-) चिह्न घाटा संकेतकों में सुधार दर्शाता है।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

गिरावट आने की वजह से होगा जो आरआर-जीडीपी अनुपात में होनेवाली कमी की पूरी तरह भरपाई कर देगा। राजस्व व्यय (जीडीपी के अनुपात के रूप में) में कमी लाने के जरिए राजस्व लेखा में जो स्थायी प्रकार का सुधार होगा उससे न केवल पूँजीगत व्यय के लिए संसाधन उपलब्ध होगा बल्कि राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया भी मजबूत होगी। इस

बात पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पूँजी परिव्यय में कमी (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) के कारण जीएफडी में जो गिरावट आती है उसका राज्य अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि की संभावनाओं पर असर पड़ता है। विकास संबंधी संसाधनों की भारी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना ध्यान निम्नलिखित बातों पर केंद्रित करना होगा: (i) सेवा प्रदान करनेवाले क्षेत्रों से करेतर राजस्व के अन्य स्रोतों का पता लगाना, (ii) उनकी राजकोषीय क्षमता में वृद्धि करना, तथा (iii) बेहतर निगरानी के लिए अभिशासन संबंधी सुधारों को लागू करना एवं संसाधनों के उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करना।

सकल राजकोषीय घाटे का विषय तथा वित्तपोषण

4.28 2009-10 (सं.अ.) में तीन वर्ष बाद पहली बार समेकित राजस्व घाटा राज्य स्तर पर दिखाई दिया और सकल राजकोषीय घाटे में इसका हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत था। चूंकि 2010-11 (ब.अ.) में राजस्व घाटे में कमी करने की बात कही गई है अतः सकल राजकोषीय घाटे में भी तदनुरूप कमी आएगी। 2010-11 (ब.अ.) में पूँजी परिव्यय राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का एक प्रमुख घटक बना रहेगा। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र से लिए जानेवाले ऋणों में कमी किए जाने एवं एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहण में कमी आने के चलते हाल के वर्षों में बाजार उथारियां सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरकर आयी हैं। 2010-11 (ब.अ.) में इसी तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है क्योंकि सकल राजकोषीय घाटे का एक प्रमुख हिस्सा बाजार उथारियों से तथा कुछ हिस्सा अल्प बचत एवं भविष्य निधि से पूरा किया जाएगा (सारणी IV.12 तथा परिशिष्ट सारणी 16, 17 तथा 18)।

बजटीय अंतर : केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य बजट

4.29 वर्षों के दौरान केंद्र तथा राज्यों के बजटों के संबंध में प्राप्त आंकड़ों में भारी अंतर दिखाई देता रहा है। सामान्यतः राज्य सरकारें केंद्रीय करों में स्वयं के हिस्से को कम करके दिखाती हैं जबकि केंद्र से प्राप्त होनेवाले सहायता अनुदान तथा ऋणों की राशि को आम तौर पर बढ़ाकर दिखाती है। 2010-11 के राज्यों के बजटों में ऐसी ही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान राज्यों ने अपने बजटों में एनएसएसएफ से प्राप्त होनेवाली राशि केंद्र सरकार के बजट में दिखाई गई इसी मद की राशि से कम दिखाई गयी है (सारणी IV.13)। उधार की लागत में होनेवाली वृद्धि को देखते हुए संभवतः

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

सारणी IV.12: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति और उसका विघटन- 2008-09(लेखा) से 2010-11(ब.अ.)

(जीएफडी का प्रतिशत)

मद	2008-09	2009-10 (सं.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
1	2	3	4
विघटन (1+2+3-4)	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	-9.4	21.6	12.3
2. पूँजी परिव्यय	106.0	74.2	84.0
3. निवल उधार	3.6	4.3	5.3
4. ऋणेतर पूँजी प्राप्तियां	0.2	0.2	1.6
वित्तपोषण (1 से 11)	100.0	100.0	100.0
1. बाजार उधारियां	77.3	57.1	66.8
2. केंद्र से ऋण	-0.6	2.2	3.5
3. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	1.1	8.8	6.1
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीपी, एसबीआइ तथा अन्य बैंकों से ऋण	4.2	3.8	4.1
5. अल्प बचत, भ.नि. आदि	11.6	11.2	11.3
6. आरक्षित निधि	5.6	-3.3	1.9
7. जमाराशि तथा अग्रिम	3.4	2.9	1.8
8. उचंत तथा विविध	6.5	2.5	-5.9
9. विप्रेषण	-1.1	0.2	4.5
10. अन्य	-1.5	-2.0	-3.4
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	-6.7	16.6	9.4

सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 17 की टिप्पणी देखें।

2. 'अन्य' में क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से लिये गये ऋण, आकस्मिक निधि में विनियोजन, अंतर-राज्य समानेलन और आकस्मिक निधि शामिल हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

राज्य सरकारें बजट में एनएसएसएफ के अंतर्गत प्राप्त होनेवाली राशि कम करके दिखा रही हैं ताकि वे एनएसएसएफ पर अपनी निर्भरता

कम कर सकें। तथापि एक स्वतंत्र घटक होने के नाते एनएसएसएफ के अंतर्गत वास्तव में प्राप्त राशि सामान्यतः अधिक होती है। इस संबंध में एनएसएसएफ की बचतों की व्याज दरों के नियंत्रण को समाप्त करने सहित इसके ढांचे की समीक्षा करने हेतु सरकार ने एक समिति (अध्यक्ष: श्यामला गोपीनाथ) का गठन किया है।

6. निष्कर्ष

4.30 समेकित स्तर पर राज्य बजटों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 2010-11 के दौरान राज्य के वित्त में कुछ सुधार की आवश्यकता है। छठे केंद्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को लागू किए जाने के साथ-साथ समग्र समष्टि आर्थिक गिरावट की स्थिति को रोकने के लिए किए गए विभिन्न विस्तारकारी राजकोषीय नीति के चलते 2009-10 (सं.अ.) में 3 वर्ष के बाद राजस्व घाटा दिखाई दिया। यद्यपि समेकित स्तर पर 2010-11 (ब.अ.) में लगातार दूसरे वर्ष राजस्व घाटे के बने रहने पर भी इसमें काफी कमी आने की आशा की गई है। राजस्व लेखा में जो सुधार होगा वह मुख्यतः राजस्व व्यय में कम वृद्धि के माध्यम से फलीभूत होगा। अतः पूँजी परिव्यय में कम वृद्धि के साथ-साथ राजस्व लेखा में होनेवाला सुधार 2010-11 में जीएफडी (राशि के रूप में तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) में गिरावट के रूप में परिलक्षित होगा। जीएफडी के वित्तपोषण की प्रवृत्ति दर्शाती है कि बाजार से लिया जानेवाला उधार वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत होगा जिसके बाद अल्प बचत तथा भविष्य निधि का क्रम होगा। केंद्र तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए जानेवाले ऋणों पर राज्यों की निर्भरता में मामूली वृद्धि होने की संभावना है।

सारणी IV.13: बजटीय आंकड़ों में घटबढ़-राज्य बजट और केंद्रीय बजट

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2007-08 (ब.अ.)			2008-09 (ब.अ.)			2009-10 (ब.अ.)			2010-11 (ब.अ.)		
	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	अंतर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. केंद्र से हिस्सेदारी वाले कर	1,36,184	1,42,450	-6,267 (-4.4)	1,73,147	1,78,765	-5,618 (-3.1)	1,85,720	1,64,362	21,358 (13.0)	2,00,466	2,08,997	-8,531 (-4.1)
2. सहायता अनुदान	1,17,320	99,583	17,737 (17.8)	1,43,030	1,18,901	24,129 (20.3)	1,68,683	1,39,847	28,836 (20.6)	1,83,282	1,51,962	31,320 (20.6)
3. केंद्र से ऋण (निवल)	6,485	2,984	3,501 (117.3)	6,942	1,479	5,463 (369.3)	9,291	3,093	6,199 (200.4)	6,969	3,363	3,606 (107.2)
4. एनएसएसएफ (निवल)	53,679	46,990	6,689 (14.2)	22,044	18,626	3,418 (18.4)	9,026	11,744	-2,718 (-23.1)	12,075	29,859	-17,784 (-59.6)

* : ऋणात्मक (-) धनात्मक (+) चिह्न केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य बजटों के न्यून अनुमान/अधिक अनुमान दर्शाता है।

टिप्पणी : कोषकों के आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत: केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

4.31 राज्य सरकारों के बजट अनुमानों से उत्पन्न होनेवाली एक प्रमुख चिंता का मुद्दा राजस्व तथा पूँजी लेखा दोनों में विकासेतर व्यय की तुलना में विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर कम रहने का है। विकास के लिए संसाधनों की जरूरतों तथा राजकोषीय समेकन की आवश्यकता को देखते हुए राज्यों ने निम्नलिखित उपायों के जरिए सुधार कायक्रमों

को सक्रियता से आगे बढ़ाया है (i) व्यय के इष्टतम आबंटन; (ii) अन्य करेतर राजस्व की संभावनाओं का पता लगाना, जैसे कि कम लागत वसूली वाले क्षेत्रों में शुल्क संबंधी उपयुक्त नीति का निर्धारण; तथा (iii) राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाना।